

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित।
प्रतिवादी संख्या 4 को अदालती नोटिस जारी
होकर पत्रावली दिनांक 10.4.18 को पेश की।

Smd
3.4.18

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय द्वारा
कन्डोलेंस/कार्य स्थगित करने
के कारण कार्यवाही नहीं की जा
सकी। पत्रावली दिनांक 17.04.18
को पेश हो।

Smd
10.4.18

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित।
प्रतिवादी सं. 4 को अदालती नोटिस जारी
होकर पत्रावली दिनांक 30.5.18 को पेश की।

Smd
17.4.18

25/14 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आगामी कार्यवाही
हेतु न्याय आपके द्वारा कैम्प स्थल... हिम्मतपुरा (30.5.18)
में पेश हो।

30/18 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट हिम्मतपुरा
में पेश हुई। उपस्थित मौत बिरान से
वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में जानकारी
ली गई। कैम्प कोर्ट अणतपुरा में
मौके पर ही तहसीलदार बस्ती से
रिकार्ड का अवलोकन किया।

पत्रावली का अवलोकन एवं उपस्थित
मौतबिरान से वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध
में जानकारी लेने तथा कैम्प कोर्ट
हिम्मतपुरा में ही रिकार्ड का अवलोकन

आनंदजी
सरपंच
धाम पंचायत हिम्मतपुरा
पो. सो. बस्ती जिला जबपुर (राज.)

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>करने पर तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं लोक अदालत हेतु गठित कमेटी के निर्णयानुसार वादग्रस्त धाराजी ख. न. 178 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा एवं ख. न. 169 रकबा 6 बीघा ग्राम नगराजपुरा तह. बस्सी. जिला जयपुर के सम्बन्ध में वर्तमान रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि का बेचान कर दिया है तथा प्रतिवादी के नाम रिकार्ड में कोई भूमि शेष नहीं है। उक्त विजय पत्र को किसी ससभ न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी है। ऐसी स्थिति में वारीगन द्वारा चाही गई रिविफ दिमाजाना उचित नहीं समझते हैं। अतः वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वादी का वाद विधि की मंशा के अनुरूप नहीं होने से खारिज किया जाता है। डिज़ी पचा जारी हो।</p> <p style="text-align: right;">आज्ञा दिनांक 30.5.18 को अट निर्णय न्याय शपथे डार मैग्स्ट्रेट सिमलपुरा में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">Smd 30.5.18</p>

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. गोकुल पुत्र बिहारी (दौराने दावा फौत)		1. हजारी पुत्र दत्तक राधाकिशन जाति ब्राहमण निवासी लालपुरा तह. बस्सी।
1/1 हरिमोहन		1/1 शंकर
1/2 गिरधारी		1/2 लादू
1/3 रामजीलाल		1/3 रामप्रसाद
1/4 कैलाशचंद		1/4 बबलू पुत्रान हजारी जाति ब्राहमण निवासी लालपुरा तह. बस्सी।
1/5 अशोक पुत्रान गोकुल जाति ब्राहमण निवासी नगराजपुरा तह. बस्सी।		1/5 प्रेम देवी पुत्री हजारी पत्नि नन्दलाल शर्मा निवासी रोजवाडी तह. बस्सी।
1/6 कमला देवी पुत्री गोकुलचन्द जाति ब्राहमण निवासी नगराजपुरा तह. बस्सी।		2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी।
1/7 चन्दो देवी बेवा गोकुलचन्द जाति ब्राहमण निवासी नगराजपुरा तह. बस्सी।		3. सबरजिस्ट्रार बस्सी
2. मोती पुत्र बिहारी जाति ब्राहमण निवासी नगराजपुरा तह. बस्सी।		4. नाथी देवी पत्नि शंकरलाल मीणा निवासी मेहन्दला सांगानेर।

दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 41/08

निर्णय दिनांक 30.05.2018

वाद ग्रस्त आराजी ख. नं. 178 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा एवं ख.नं. 169 रकबा 6 बीघा नगराजपुरा तह. बस्सी जिला जयपुर के संबंध में वर्तमान रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि का बेचान कर दिया है तथा प्रतिवादी के नाम रिकार्ड में कोई भूमि शेष नहीं है। उक्त विक्रय पत्र को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा चाही गई रिलिफ दिया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादी का वाद विधि की मंशा के अनुरूप नहीं होने से खारिज किया जाता है।निजी.....मुबलिक.....बाबत.....
.....खर्चा इस मुकददमें का मय सूद वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.....को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 30.05.2018 को जारी किया गया।



दस्तख्त.....
ओहदा.....
30.5.18
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर

Contd—2

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी	/	/	स्टाम्प अर्जी	/	/
दावा			दावा		
स्टाम्प			स्टाम्प		
बकालतनामा			बकालतनामा		
स्टाम्प वहत			स्टाम्प वहत		
सबूत			सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फोस			फीस		
कमिश्नर			कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा	हुक्मनामा				
मुतफरिक	मुतफरिक				
मीजान	मीजान				

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

End

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बरसाँ जिला जयपुर